निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 ज्येष्ठ 1942 (श0)
(सं0 पटना 351) पटना, शुक्रवार, 12 जून 2020

सं० 08/नि०था०–11–02/2016–4387/सा0प्र0
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
28 अप्रील 2020

श्री सुरेश पासवान, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–442/11 विशेष सचिव, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध राज्य के बाहर विभिन्न तकनीकी संस्थानों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों तथा छात्राओं को वर्ष–2013–14 एवं इसके पूर्व के वर्षो में छात्रवृत्ति भुगतान में हुई अनियमितताओं के लिए निगरानी थाना कांड संख्या–127/16 दिनांक 26.11.2016 दर्ज होने की सूचना निगरानी विभाग के पत्रांक 2756 दिनांक 06.12.2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी। उक्त के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 (ग) में निहित प्रावधानों के तहत श्री पासवान को विभागीय संकल्प ज्ञापांक 531 दिनांक 16.01.2017 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। तत्पश्चात अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 992 दिनांक 25.04.2017 द्वारा श्री पासवान के विरूद्ध आरोप प्रपत्र–'क' एवं साक्ष्य उपलब्ध कराया गया। प्राप्त आरोप प्रपत्र–'क' के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप, प्रपत्र–'क' पुनर्गठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक 8750 दिनांक 18.07.2017 द्वारा श्री पासवान से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री पासवान से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 12286 दिनांक 21.09.2017 द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग से मंतव्य की मांग की गयी। अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त मंतव्य (पत्रांक 1080 दिनांक 25.04.2018) में श्री पासवान के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं बताया गया।

श्री पासवान के स्पष्टीकरण पर अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत आरोपों की गंभीरता को देखते हुए मामले की वृहद्/विस्तृत जांच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत कराने का निर्णय लिया गया।

तदनुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 7498 दिनांक 06.06.2018 द्वारा श्री पासवान के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। विभागीय जांच आयुक्त–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 622 दिनांक 25.07.2018 द्वारा इस मामले में जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जिसमें श्री पासवान के विरूद्ध आरोपों को अंशतः प्रमाणित बताया गया। जांच पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 10987 दिनांक 14.08.2018 द्वारा श्री

पासवान से लिखित अभिकथन की मांग की गई। जिसके क्रम में उनके द्वारा अपना बचाव बयान/लिखित अभिकथन (दिनांक 28.09.2018) समर्पित किया गया।

श्री पासवान के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रपत्र–'क', जांच पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन तथा जांच प्रतिवेदन पर प्राप्त लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गई। सम्यक विवेचनोपरांत सरकारी राशि की गबन संबंधी गंभीर प्रकृति के आरोपों की प्रमाणिकता के आधार पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–14(viii) में विहित प्रावधान के तहत श्री सुरेश पासवान, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–442/2011 को ''अनिवार्य सेवानिवृति'' संबंधी दण्ड अधिरोपित करने का विनिश्चय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा किया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित उक्त दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक–15471 दिनांक 28.11.2018 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/मंतव्य की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–289 दिनांक 09.05.2019 द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध विभाग से किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की गयी पृच्छा के क्रम में आयोग से प्राप्त पत्र संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–8610 दिनांक 27.06.2019 द्वारा सचिव, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना से आयोग की पृच्छा पर स्थिति स्पष्ट करते हुए मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के पत्रांक–4235 दिनांक 30.08.2019 द्वारा मंतव्य/प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग से प्राप्त मंतव्य/प्रतिवेदन विभागीय पत्रांक–12798 दिनांक 17.09.2019 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग को भेजते हुए श्री पासवान के विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर याचित मंतव्य यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–05/प्रो०–01–34/2018 (1824)/लो०से०आ० दिनांक 30.10.2019 द्वारा अपना मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री पासवान के विरूद्ध विनिश्चित दंड को अनुपातिक नहीं बताया गया।

आयोग से प्राप्त उक्त मंतव्य के आलोक में पूरे मामले की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर पुनः की गयी। सम्यक विचारोपरांत पाया गया कि श्री पासवान के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री पासवान को वरीय पदाधिकारी होने के नाते मामले की गहराई से समीक्षा नहीं करने, निचले स्तर से दी गयी टिप्पणी को सत्यापित नहीं करने तथा संबंधित विद्यार्थियों के कागजात संलग्न है या नहीं, इसकी जाँच पड़ताल कर विधिवत् आत्मभारित टिप्पणी नहीं देने के लिए दोषी पाते हुए आरोप को अंशतः प्रमाणित पाया गया।

उक्त वर्णित स्थिति में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पूर्व में विनिश्चित दंड ''अनिवार्य सेवानिवृत्ति'' पर पुनर्विचार करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–14 में निहित प्रावधानों के तहत श्री पासवान को निलंबन मुक्त करने एवं प्रमाणित आरोपों के लिए निम्नांकित दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया :–

(i) बि०प्र०से० के विशेष सचिव कोटि से बि०प्र०से० के अपर सचिव कोटि में पदावनति।

उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 16353 दिनांक 02.12.2019 द्वारा श्री पासवान को निलंबन मुक्त किया गया एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित उक्त दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 16592 दिनांक 05.12.2019 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/मंतव्य की मांग की गयी। आयोग के पत्रांक–05/प्रो०–01–34/2018 (2378)/लो०से०आ० दिनांक 18.12.2019 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ। जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 9794 दिनांक 22.07.2019 का उल्लेख करते हुए कहा गया कि ''वैसे अनुशासन संबंधी पेंशन से कटौती अथवा वृहद दंड के मामले में, जिन में आयोग द्वारा परामर्श/सहमति दी गयी हो, और बाद में पेंशन से कटौती अथवा वृहद दंड के आदेश को निरस्त करने, कम करने अथवा रूपभेदित किये जाने की स्थिति में पुनः आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा।'' फलतः उक्त वर्णित प्रावधान के आलोक में वर्तमान विभागीय दंड प्रस्ताव पर पुनः आयोग का परामर्श अपेक्षित नहीं है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री सुरेश पासवान, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–442/11 तत्कालीन विशेष सचिव, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय संकल्प ज्ञापांक 563 दिनांक 13.01.2020 द्वारा निम्न दंड अधिरोपित/संसूचित किया गया :–

(i) बि०प्र०से० के विशेष सचिव कोटि से बि०प्र०से० के अपर सचिव कोटि में पदावनति।

(ii) निलंबन अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री पासवान द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन (पत्रांक–01 दिनांक 24.02.2020) समर्पित किया गया। श्री पासवान द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में मुख्य रूप से कहा गया कि उनके विरूद्ध अधिरोपित पदावनति का दंड एक वृहत् दंड है। इसके चलते उन्हें गंभीर मानसिक संताप के अलावे गंभीर आर्थिक क्षति होगी एवं सामाजिक मर्यादा का भी हनन होगा। श्री पासवान द्वारा समर्पित अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। जिसमें पाया गया कि श्री पासवान के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री पासवान को वरीय पदाधिकारी होने के नाते मामले की गहराई से समीक्षा नहीं करने, निचले स्तर से दी गयी टिप्पणी को सत्यापित नहीं करने तथा संबंधित विद्यार्थियों के कागजात संलग्न है या नहीं, इसकी जाँच पड़ताल कर विधिवत् आत्मभारित टिप्पणी नहीं देने के लिए दोषी पाते हुए आरोप को अंशतः प्रमाणित पाया गया है।

श्री पासवान द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन आवेदन में किसी नये तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसपर विचार किया जा सके।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत श्री पासवान के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। अतः पुनर्विलोकन अभ्यावेदन अस्वीकृत करते हुए श्री पासवान को पूर्व अधिरोपित दंड **(**"(i) **बि०प्र०से० के विशेष सचिव कोटि से बि०प्र०से० के अपर सचिव कोटि में पदावनति। (ii) निलंबन अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।")** को पूर्ववत बरकरार रखा जाता है।

आदेशः— **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।**

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 351-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in